ए.

कुइपो निर्माण उपकरण सीमित

वी.

जनार्दन निर्मलन पी. वी. टी. सीमित

(2020 की सिविल अपील संख्या 2378)

बी.

29 अप्रैल, 2020

[उदय उमेश ललित और वाइन सरन, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996। 4 , 16 , 20 और 34

दोनों पक्षों के बीच हुए चार समझौते-विवाद

-

एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त-एक समझौते में स्थान था

एस.

कोलकाता लेकिन दिल्ली में कार्यवाही की गई-मुकदमा चलाया गया

दोनों कोलकाता और दिल्ली के न्यायालयों के समक्ष-आम पूर्व-पक्ष

पुरस्कार पारित-प्रत्यर्थी ने याचिका दायर की एस. 34 के न्यायालय में

जिला न्यायाधीश, अलीपुर-बर्खास्त-उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया गया आदेश

आयोजित किया गयाः विचाराधीन मध्यस्थता एक घरेलू और संस्थागत है।

-

डी.

मध्यस्थता जहाँ निर्माण उद्योग मध्यस्थता संघ

(सी. आई. ए. ए.) को मध्यस्थ को नामित करने का अधिकार दिया गया था-यह है

ऐसा नहीं है कि नियुक्ति के लिए पूरी तरह से अलग तंत्र थे

प्रत्येक समझौते में मध्यस्थ का केवल अंतर यह है कि

समझौतों में से एक के अनुसार, आयोजन स्थल कोलकाता में होना था -

ई "मध्यस्थता के स्थान" के विनिर्देशन का विशेष महत्व हो सकता है।

एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में, जहाँ मध्यस्थता "यह निर्धारित कर सकता है कि कौन सा प्रारंभिक कानून लागू होगा

-

तथापि, वर्तमान मामले में, लागू मूल के साथ-साथ

क्यूरियल लॉ समान होगा-इसके अलावा, न तो प्रतिवादी

मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लिया और न ही अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति जताई

एफ.

मध्यस्थ की, इस प्रकार ऐसी सभी आपत्तियों को माफ कर दिया है - अब आयोजन स्थल के बारे में कोई आपत्ति उठाने से रोक दिया गया है

मध्यस्थता-अलीपुर में न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष सही था

- - उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया गया है जबकि अलीपुर में न्यायालय का आदेश है

पुनर्स्थापित किया।

जी.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 वर्तमान मामले में विचाराधीन मध्यस्थता

एक घरेलू और एक संस्थागत मध्यस्थता है जहाँ सी. आई. ए. ए. था।

मध्यस्थ को अधिकार दिया और नामित किया। ऐसा नहीं है कि वहाँ नियुक्ति के लिए पूरी तरह से अलग तंत्र थे

एच.

प्रत्येक समझौते में मध्यस्थ। एकमात्र अंतर यह है कि एक समझौते के अनुसार आयोजन स्थल कोलकाता में होना था। "मध्यस्थता के स्थान" के विनिर्देशन का अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में विशेष महत्व हो सकता है, जहाँ "मध्यस्थता का स्थान" यह निर्धारित कर सकता है कि कौन सा प्रारंभिक कानून लागू होगा। हालांकि, वर्तमान मामले में, लागू मूल और साथ ही क्यूरियल कानून समान होंगे। प्रत्यर्थी के लिए यह निवेदन करना संभव था कि प्रत्येक समझौते से संबंधित मध्यस्थता पर विचार किया जाए और अलग से निपटा जाए। उनके लिए यह तर्क देना भी संभव था कि के संबंध में

समझौता जहां स्थल कोलकाता में होने के लिए सहमत था, मध्यस्थता कार्यवाही तदनुसार संचालित की जाएगी। इन तथ्यों पर विचार करते हुए कि प्रतिवादी मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही में भाग लेने में विफल रहा और उसने कोई मुद्दा नहीं उठाया

प्रस्तुत करना कि मध्यस्थ के पास अधिकार क्षेत्र नहीं था या कि

1.2 प्रत्यर्थी को अब मध्यस्थता के स्थान के बारे में कोई प्रस्तुति या आपत्ति उठाने से रोक दिया गया है, अलीपुर में न्यायालय द्वारा 2015 के विविध मामले को खारिज करते हुए निकाला गया निष्कर्ष काफी सही था और इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश को रद्द करने में गलती की थी। किसी भी मामले में, तथ्य यह है कि कारण शीर्षक से पता चलता है कि वर्तमान अपीलार्थी अन्यथा के लिए उत्तरदायी था

अलीपुर न्यायालय का अधिकार क्षेत्र निर्णायक या निर्धारित करने वाला मानदंड नहीं हो सकता है। [पैरा 24] [288-ई]

नारायण प्रसाद लोहिया बनाम। निकुंज कुमार लोहिया और

अन्य (2002) 3 एस. सी. सी. 572: [2002] 1 एससीआर 1136-निर्भर पर।

ड्यूरो फेलगुएरा, एस. ए. बनाम। गंगावरम पोर्ट लिमिटेड (2017) 9 एस. सी. सी. 729: [2017] 10 एस. सी. आर. 285-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2017] 10 एससीआर 285

संदर्भित किया गया है

पै

रा 18

[2002] 1 एससीआर 1136

उस पर भरोसा करें

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2378

20 .

उच्च न्यायालय के 14.02.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

कलकत्ता में अपील सं। 2018 का कैन 10094।

रितिन राय, वरिष्ठ अधिवक्ता। , शशांक मनीष, सुश्री मानसी चटपल्लीवार,

प्रेरणा अग्रवाल, सुश्री ट्विंकल कटारिया, यश कुमार, अभिपसित रा, अर्जुन एस. बी., मृदुल गोधा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

कुरियाकोस वर्गीज, वी. श्यामोहन, सूर्य प्रकाश, सुश्री ईशा

(के. एम. एन. पी. कानून के लिए), अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित, जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

2. इस अपील में मूल दावेदार ने कलकत्ता में उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय आदेश को चुनौती दी है।

2018 का No.10094।

3. दिनांकित 24.03.2015 पुरस्कार से निकाले गए बुनियादी तथ्य

वर्तमान मामले में मध्यस्थ द्वारा डी हैं:

" कि अवसंरचना विकास गतिविधियों के व्यवसाय में लगी प्रतिवादी कंपनी ने दावेदार से संपर्क किया कंपनी जो प्रदान करने के व्यवसाय में भी काम कर रही है

बुनियादी ढांचागत गतिविधियों के लिए दो पाइंग रिग एचआर-180 और (1) 300 सीपीएम कंप्रेसर (उपकरण) किराए पर देने के लिए उपकरण प्रत्यर्थी के निर्देशों के अनुसार कार्य करना। विचार-विमर्श और बातचीत के बाद, दोनों पक्षों के बीच अपने कार्य स्थल सी/ओ जनार्दन निर्माण प्राइवेट लिमिटेड के लिए उपरोक्त निर्माण उपकरणों के संबंध में एक समझौता किया गया। लिमिटेड एल एंड टीईसीसी साइट, एनटीपीसी बी. ए. आर. एच. साइट, बी. ए. आर. एच., जिला। पटना, बिहार। दावेदार कंपनी द्वारा प्रदान की गई उपकरण सेवाओं से संतुष्ट होने के कारण, प्रतिवादी ने आगे दावेदार कंपनी से अपने ऊपर बताए गए कार्य स्थल के लिए एक और (1) पिलिंग रिग मैट एचआर 180 (उपकरण) किराए पर लेने के लिए संपर्क

किया, साथ ही प्रतिवादी के निर्देशों के अनुसार काम करने के लिए प्रत्येक उपकरण के लिए चालक दल/संचालक के दोहरे समूह के साथ। विचार-विमर्श और बातचीत के बाद, उपरोक्त आई. पी. पी. ओ. निर्माण उपकरण सीमा 5 के संबंध में पक्षों के बीच एक समझौता किया गया।

जनार्दन निर्मलन पी. वी. टी. लिमिटेड [उदय उमेश ललित, जे।]

उपकरण। इसके बाद, प्रतिवादी ने आगे प्रवेश किया

किराए पर लेने के लिए 19.3.2011 और 14.4.2011 दिनांकित समझौते (1) पिलिंग रिग एच. आर. 180 के लिए प्रतिवादी के निर्देशों के अनुसार काम करने के लिए उक्त समझौतों में से प्रत्येक

सी/ओ जनार्दन निर्माण प्राइवेट में कार्य स्थल। लिमिटेड, सेल, डीएसपी, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल और सी/ओ जनार्दन निर्माण प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड, एन. एच. 34, फरक्का-दफखोला सड़क परियोजना, कालियाचक के पास, जिला। मालदा, पश्चिम बंगाल, क्रमशः।

4. उपरोक्त शर्तों से जुड़े सामान्य नियमों और शर्तों में, पक्षों के बीच विवादों का समाधान प्रदान किया गया था।

; इसके अंतर्गतः

4.1 दिनांकित समझौते के संबंध में प्रासंगिक खंड

. 2010 निम्नलिखित प्रभाव पड़ाः

" 24. शासी विधि क्षेत्राधिकार और मध्यस्थताः पार्टियां

यहाँ इस बात पर सहमति है कि नई दिल्ली में अदालतों और न्यायाधिकरणों के पास होगा

अनन्य अधिकारिता और उसके अनुसार शासित किया जाएगा

भारत में कानून के साथ।

24.1 मध्यस्थताः व्याख्या से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे, विवाद या मतभेद की स्थिति में या

समझौते का कार्यान्वयन या किसी भी उल्लंघन के संबंध में, या समझौते का कथित उल्लंघन (जिसे इसके बाद "विवाद" के रूप में संदर्भित किया गया है) पक्षकारों के बीच, इसके द्वारा

इस तरह के विवाद को निर्माणाधीन मध्यस्थता को संदर्भित करने पर सहमति व्यक्त की गई

उद्योग मध्यस्थता संघ (सी. आई. ए. ए.) के नियम और विनियम समझौते के दोनों पक्षों की ओर से इसे छोड़कर। मालिकों को एकमात्र मध्यस्थ का चयन करने का अधिकार होगा।

सी. आई. ए. ए का पैनल। कार्यवाही द्वारा नियंत्रित किया जाएगा

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 किसी भी वैधानिक के साथ

उसमें संशोधन या पुनः अधिनियमन। इसके लिए स्थल

इस तरह की मध्यस्थता कार्यवाही नई दिल्ली द्वारा की जाएगी। 4.2 दूसरी ओर, में प्रासंगिक मध्यस्थता खंड

दिनांक 14.04.2011 निम्नलिखित प्रभाव के लिए थाः

" 24. शासी विधि क्षेत्राधिकार और मध्यस्थताः सभी और किसी भी

इस अनुबंध से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले विवाद, जिसमें इसके अस्तित्व, वैधता या समाप्ति के बारे में कोई भी प्रश्न शामिल है,

कोलकाता में मध्यस्थता द्वारा संदर्भित और अंत में हल किया जाए

निर्माण उद्योग के मध्यस्थता नियमों के अनुसार [2020] 6 एस. सी. आर.

समझौते की शर्तें या इसकी व्याख्या। मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी भाषा में होगी। यह प्रावधान इस समझौते की समाप्ति/समाप्ति से बचेगा।

5. उपर्युक्त समझौतों के अनुसरण में, अपीलार्थी द्वारा प्रतिवादी को निर्माण उपकरण प्रदान किए गए थे

प्रत्यर्थी के निर्देशों के अनुसार संबंधित साइटें। समझौतों के नियमों और शर्तों के अनुसार प्रतिवादी को मासिक बिल जमा करने की तारीख से सात दिनों के भीतर भुगतान करना था।

इसके द्वारा किराए पर लिया गया रिग समझौते के अनुसार था। चूंकि भुगतान आने वाले नहीं थे, इसलिए अपीलार्थी ने दिनांक 02.03.2012 के संचार द्वारा दिया मध्यस्थता का आह्वान करने की सूचना। ऊपर बताए गए खंड 24 और 24 पर भरोसा करते हुए, यह कहा गया कि श्री एल. सी. जैन, अध्यक्ष उपभोक्ता मंच (सेवानिवृत्त) को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था जो पक्षों के बीच विवाद पर निर्णय लेने के लिए नई दिल्ली में कार्यवाही का संचालन करेंगे। यह भी कहा गया थाः

" आपसे अनुरोध है कि आप इस सूचना की प्राप्ति के 14 दिनों के भीतर जवाब दें और मध्यस्थता की कार्यवाही में शामिल हों और/या कुल बकाया राशि, Rs.78,78,533/- (रुपये) का भुगतान करें।

अड़तालीस लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ तैंतीस केवल) 18 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ पी. ए. बकाया राशि तक। ”

इस संचार की एक प्रति निर्माण उद्योग मध्यस्थता परिषद (संक्षेप में 'सी. आई. ए. सी.') को चिह्नित की गई थी।

6. अपने दिनांकित 15.03.2012 के जवाब में प्रत्यर्थी ने पक्षों के बीच किसी भी समझौते के अस्तित्व से इनकार किया। हालाँकि, इसने मध्यस्थता में भाग लेने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी ने सिविल जज, जूनियर डिवीजन, क्विपो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड में 2012 का टाइटल सूट No.189 दायर किया।

जनार्दन निर्मलन पी. वी. टी. लिमिटेड [उदय उमेश ललित, जे।]

सियालदह में दूसरा न्यायालय, अनुरोध करता है कि समझौतों को अमान्य घोषित किया जाए और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए अपीलार्थी को समझौतों में निहित मध्यस्थता खंडों पर भरोसा करने से रोका जाए। अंतरिम चरण में, निचली अदालत द्वारा एक प्रतिबंध आदेश पारित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी। अ.

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 5 और 8 के तहत आवेदन अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि पक्षों के बीच विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जाए। 7. अपीलार्थी की ओर से दायर आवेदन को स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय ने अपने दिनांक 26.5.2014 के आदेश में कहाः

" प्रतिवादी ने पहले ही कहा है कि मध्यस्थता खंड वाले पक्षों के बीच समझौते हैं। उन्होंने भुगतान संबंधी विवाद को हल करने के लिए उक्त मध्यस्थता खंड के संदर्भ में मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। उनके तर्क के समर्थन में, प्रतिवादी ने मूल समझौतों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की, जिन पर हस्ताक्षर किए गए थे

दोनों पक्ष। मैं यह समझने में विफल हूं कि वादी ने दस्तावेजों की एक श्रृंखला में हस्ताक्षर क्यों किए, जिनके अस्तित्वहीन होने का वे दावा करते हैं। जैसा कि पहले कहा गया है, वादी झूठ के बारे में कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहा और उक्त कार्य को निष्पादित करने में प्रतिवादी द्वारा की गई जालसाजी

समझौते। समझौतों के अवलोकन पर, यह स्पष्ट होता है कि सभी समझौतों में भुगतान और उपयोग की शर्तें विस्तार से शामिल हैं। समझौतों में मध्यस्थता खंड भी शामिल है अर्थात किसी भी दावे और कार्यान्वयन, निष्पादन और व्याख्या या पक्षों के बीच समझौतों के उल्लंघन के संबंध में कोई भी विवाद।

इसलिए, भुगतान के संबंध में पक्षों के बीच विवाद मध्यस्थता खंड के दायरे में है। अभियुक्तों ने मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना उचित है। बल्कि वादी ने मध्यस्थता कार्यवाही की जानकारी होने के बाद भी यह मुकदमा दायर किया।

.....

पक्षकारों के बीच सभी विवाद जो मध्यस्थता खंड के अंतर्गत आने वाले मामले हैं, उनका निर्णय मध्यस्थ द्वारा किया जाना है। इसलिए, इस अदालत के पास इस मुकदमे की सुनवाई करने और मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को इस प्रकार अनुमति दी गई और शिकायत को वापस करने का निर्देश दिया गया। 8. प्रत्यर्थी ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, द्वितीय न्यायालय, सियालदह के न्यायालय में 2014 की विविध अपील दायर की, जिसमें उक्त आदेश दिनांक 26.05.2014 को चुनौती दी गई। अपील लंबित होने पर, अंतरिम राहत की प्रार्थना की गई [2020] 6 एस. सी. आर.

प्रत्यर्थी और उस गिनती पर बार-बार स्थगन मध्यस्थ के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा नहीं थे। मध्यस्थ ने कुछ अवसरों पर प्रत्यर्थी को मध्यस्थता की अनुमति दी, लेकिन चूंकि अपीलीय अदालत द्वारा कोई अंतरिम पारित नहीं किया गया था, इसलिए मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही जारी रही। दिनांक 24.03.2015 के एकतरफा निर्णय द्वारा, मध्यस्थ ने अपीलार्थी द्वारा किए गए दावे को स्वीकार कर लिया। यह पुरस्कार सभी चार समझौतों के संबंध में दावों को शामिल करने वाला एक सामान्य पुरस्कार था। पुरस्कार वेदः

" दावेदार कंपनी ने इस उद्देश्य के लिए स्थापित संस्थागत निकाय निर्माण उद्योग मध्यस्थता परिषद (सी. आई. ए. सी.) से मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए संपर्क किया।

दावेदार कंपनी के बीच किया गया समझौता और

उत्तरदाताओं के बीच उत्पन्न विवाद को हल करने के लिए

दावेदार कंपनी और उत्तरदाता। पक्षों के बीच विवाद को हल करने के लिए, सी. आई. ए. सी. ने इस मामले को मुझे (एल. सी. जैन) एकमात्र मध्यस्थ के रूप में सौंपा। दावेदार कंपनी द्वारा भेजी गई संदर्भ सूचना दिनांकित है और उसके बाद मध्यस्थ की नियुक्ति की गई और फाइल को एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष रखा गया जिसने तय किया

पार्टियों की उपस्थिति की तारीख। प्रत्यर्थी को खाते का निपटान करने के लिए पर्याप्त अवसर और समय प्रदान किया गया था, लेकिन प्रत्यर्थी खाते का निपटान करने में विफल रहा और अंततः दावेदार ने उपरोक्त समझौतों के मध्यस्थता खंड को लागू करने के लिए 02.03.2012 दिनांकित नोटिस जारी किया।

सी. आई. ए. सी. नियमावली के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादी के साथ विवाद को समाप्त करें और सी. आई. ए. सी. से मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने का अनुरोध किया और तदनुसार मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा गया है। सी. आई. ए. सी. ने उत्तरदाताओं को दिनांक 30.05.2012 का नोटिस जारी किया और 04.07.2012 पर उपस्थित होने और जवाब/लिखित बयान दाखिल करने के लिए कहा। प्रत्यर्थी द्वारा नोटिस प्राप्त होने पर, प्रत्यर्थी ने सी. आई. ए. सी. को लिखा कि एल. डी. के समक्ष अपील दायर की गई है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, एल. डी. के आदेश के खिलाफ सियालदह, कोलकाता में। दीवानी न्यायाधीश और मामले को स्थगित किया जा सकता है और तदनुसार मामले को स्थगित कर दिया गया और प्रतिवादियों को सूचना भेजी गई। प्रत्यर्थी को यह भी सूचित किया गया कि रोक प्राप्त किए बिना आई. पी. पी. ओ. निर्माण उपकरण लिमिटेड v.

जनार्दन निर्मलन पी. वी. टी. लिमिटेड [उदय उमेश ललित, जे।]

इस मामले में कार्यवाही। उपस्थित न होने या जवाब/लिखित बयान दाखिल न करने के लिए, प्रत्यर्थी को एकतरफा कार्रवाई की गई और इसकी सूचना सी. आई. ए. सी. द्वारा प्रत्यर्थी को भेजी गई। वास्तव में, सी. आई. ए. सी. ने प्रत्येक तिथि की सभी कार्यवाही (आदेशों) की प्रति प्रत्यर्थी को भेजी, लेकिन प्रत्यर्थी ने हर बार सी. आई. ए. सी. से सूचना मिलने पर सी. आई. ए. सी. के माध्यम से एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही के स्थगन के लिए अनुरोध भेजना जारी रखा और कभी भी स्थगन आदेश की कोई प्रति दाखिल नहीं की, यदि कोई पारित हो गया हो। एलडी द्वारा। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सियालदह, कोलकाता में, न ही इस पर विचार करने के लिए कोई जवाब/लिखित बयान या आपत्तियां दायर कीं।

एकमात्र मध्यस्थ।

प्रत्यर्थी ने एल. डी. के समक्ष याचिका दायर की है। सिविल न्यायाधीश ने कहा कि ऊपर बताए गए समझौते इसके द्वारा नहीं किए गए हैं

उसे और सभी दस्तावेज़ जाली और मनगढ़ंत हैं और एल. डी. दीवानी न्यायाधीश ने 2012 के दीवानी मुकदमे में अपने आदेश में प्रतिवादी की इन दलीलों पर विचार किया है और इन दलीलों पर उचित विचार करने के बाद प्रतिवादी को मध्यस्थता कार्यवाही में शामिल होने का निर्देश दिया है।

इस प्रकार दावेदार प्रत्यर्थी से प्राप्त करने का हकदार है राशिः

i) Rs.78,78,533/- (अड़तालीस लाख सत्तर रुपये)

केवल आठ हजार पाँच सौ तैंतीस) अर्थात दावा राशि।

(ख)

राशि पर 11 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज

Rs.78,78,533/- (केवल अड़तालीस लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ तैंतीस रुपये) 2.3.2012 से लटकते ब्याज के रूप में, यानी की तारीख से

निर्णय की तारीख तक मध्यस्थता का आह्वान करने वाला संदर्भ अर्थात 24.03.2015; पुरस्कार की तारीख से प्रति वर्ष 11 प्रतिशत की दर से ब्याज।

iii)

25.03.2015 से प्राप्ति तक;

(iv)

दावेदार ने सी. आई. ए. सी. के पास लागत जमा कर दी है

6 एस. सी. आर. से संबंधित मध्यस्थता शुल्क और संबद्ध शुल्क।

उत्तरदाता के हिस्से के लिए रु। 1,47,072 / (केवल एक लाख सैंतालीस हजार बयालीस रुपये) और दावेदार वही प्राप्त करने का हकदार है।

उत्तरदाता से।

दावेदार को स्टाम्प पेपर जमा करने का निर्देश दिया गया है

Rs.12,000/- पुरस्कार के उच्चारण के लिए CIAC के साथ और

दावेदार ने तदनुसार सी. आई. ए. सी. के पास <आई. डी. 1,000/- मूल्य का स्टाम्प पेपर दाखिल किया और पुरस्कार घोषित कर दिया गया है। पुरस्कार सी. आई. ए. सी. के पास दाखिल किया गया है। पुरस्कार के तुरंत बाद ,
2015 का ओ. एम. पी. संख्या 449 द्वारा दायर किया गया था।

9. पीड़ित प्रतिवादी ने कलकत्ता में उच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 34 के तहत एक याचिका दायर की, जिसका एपी No.1141 2015 , जिसे उच्च न्यायालय द्वारा 17.07.2015 पर यह देखने के बाद खारिज कर दिया गया था कि कारण शीर्षक से यह स्पष्ट नहीं था कि उच्च न्यायालय में याचिका कैसे दायर की जा सकती थी।

10. इसके बाद प्रत्यर्थी द्वारा अधिनियम की धारा 34 के तहत अदालत में 2015 का विविध मामला No.298 दायर किया गया था।

जिला न्यायाधीश, अलीपुर। प्रत्यर्थी ने किसी भी समझौते के अस्तित्व के बारे में अपने मामले को दोहराया। इसने यह भी कहा कि दिनांकित 14.04.2011 समझौते के संदर्भ में मध्यस्थता का स्थान कोलकाता में था।

11. 20.02.2016 पर अपीलीय न्यायालय ने विविध खारिज कर दिया

2014 की अपील No.57 बनाए रखने योग्य नहीं है। 12. 2015 के ओ. एम. पी. संख्या 449 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर खारिज कर दिया था कि कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है।

अपीलार्थी द्वारा किया गया था। हालाँकि, यह देखा गया कि बर्खास्तगी का उस निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो अलीपुर में अदालत के समक्ष अधिनियम की धारा 34 के तहत लंबित याचिका में दिया जा सकता है। 13. दिनांकित 20.02.2016 आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी ने 2016 में CO Nos.1320 और 1322 के रूप में संशोधन याचिकाएं दायर कीं।

कलकत्ता में उच्च न्यायालय, जिसने अपने दिनांक 1 के आदेश द्वारा उक्त पुनरीक्षण याचिकाओं को बनाए रखने योग्य नहीं होने के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन अलीपुर में न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही में अधिनियम की धारा 34 के दायरे में सभी मुद्दों को आंदोलन करने के लिए प्रतिवादी के अधिकार सुरक्षित कर लिए। 2017 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) Nos.25279-25280 को इस न्यायालय द्वारा 06.10.2017 पर खारिज कर दिया गया था।

आई. पी. पी. ओ. निर्माण उपकरण सीमित v. जनार्दन निर्मलन पी. वी. टी. लिमिटेड [उदय उमेश ललित, जे।]

14. प्रत्यर्थी द्वारा धारा 34 के तहत दायर याचिका। इसके बाद 2015 के विविध मामले No.298 को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 13.08.2018 पर अलीपुर की अदालत ने खारिज कर दियाः

" केस रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद मैंने पाया कि समझौते में एक मध्यस्थता खंड था और मध्यस्थ को नई दिल्ली और एल. डी. में नियुक्त किया गया था। मध्यस्थ ने विरोधी पक्षों के पक्ष में पुरस्कार पारित किया है। धारा 34 के अधिकार क्षेत्र का सवाल उठाया गया है। एल. डी. द्वारा उद्धृत कई मामले कानून हैं। विरोधी पक्षों के लिए वकील। उक्त मामले के कानूनों से यह है

यह पाया गया कि धारा 34 की अधिकारिता वह है जहां मध्यस्थता पुरस्कार पारित किया गया था या उस स्थान पर जहां पक्षकारों द्वारा मध्यस्थता के स्थान पर सहमति व्यक्त की गई थी। 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 442 1 में रिपोर्ट किए गए हाल के मामले कानूनों में, मुझे लगता है कि अधिकार क्षेत्र विशेष रूप से है उस स्थान पर जहाँ मध्यस्थता की गई थी। एल. डी. याचिकाकर्ता के वकील ने पक्षों के बीच समझौते को यह कहते हुए संदर्भित किया कि कोलकाता में मध्यस्थता का एक खंड है, लेकिन जवाब में एल. डी. विपरीत पक्षों के वकील ने कहा कि कई हैं

अन्य समझौतों में समझौतों और मध्यस्थता के स्थान का उल्लेख दिल्ली में है और तदनुसार मध्यस्थता की गई है।

नई दिल्ली में और इस न्यायालय के पास इस विविध मामले पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। अधिनियम की धारा 34 के तहत मामले और केवल दिल्ली के न्यायालयों में

उसी का मनोरंजन करने का अधिकार क्षेत्र।

तदनुसार, मामले के अभिलेख की सावधानीपूर्वक जांच के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अवलोकन के बाद मुझे पता चलता है कि मध्यस्थता पुरस्कार नई दिल्ली में पारित किया गया था और तदनुसार नई दिल्ली के न्यायालय के पास धारा 34 के तहत आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम। इस अदालत के पास नहीं है

अधिकार क्षेत्र। इसलिए, वर्तमान मामला अधिकार क्षेत्र के अभाव के लिए बुरा है।

15. प्रत्यर्थी ने शुरू में 13.08.2018 दिनांकित आदेश को चुनौती दी

संशोधन याचिका (2018 की सी. ओ. No.3400), जिसे अधिनियम की धारा 37 के तहत याचिका दायर करने के जमीनी उपाय पर कलकत्ता में उच्च न्यायालय द्वारा बनाए रखने योग्य होने के कारण खारिज कर दिया गया था, उपलब्ध थी। इसके बाद प्रतिवादी ने सी. ए. एन. No.10094 18 के रूप में उपयुक्त याचिका दायर की, जिसे कलकत्ता में उच्च न्यायालय ने फैसले के माध्यम से अनुमति दी थी।

14.02.2019 निम्नलिखित टिप्पणियों के साथः

मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन प्रा. लि. लिमिटेड बनाम। डेटाविंड इनोवेशन्स प्रा. लि. :

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" तदनुसार, क्योंकि यह कारण शीर्षक से ही स्पष्ट है कि

यहाँ प्रत्यर्थी अन्यथा उत्तरदायी था

अलीपुर अदालत के अधिकार क्षेत्र में 13 अगस्त, 2018 के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है। 2015 का मामला No.298 (2015 का R.No.385) अतिरिक्त आयोग के बोर्ड में बहाल कर दिया गया है।

जिला न्यायाधीश, अलीपुर में 16 वें न्यायालय "।

उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय को वर्तमान में चुनौती दी जा रही है।

16. इन परिस्थितियों में, यह स्पष्ट है किः

(i) यद्यपि चार समझौतों में से प्रत्येक मध्यस्थता के लिए प्रदान किया गया था, मध्यस्थ द्वारा दिया गया पुरस्कार एक सामान्य पुरस्कार था; और

((ii) एक समझौते में स्थान कोलकाता बताया गया था और फिर भी कार्यवाही दिल्ली में आयोजित की गई थी।

हालांकि, किसी भी स्तर पर, प्रतिवादी द्वारा मध्यस्थ के समक्ष उपरोक्त आपत्तियां नहीं उठाई गईं और प्रतिवादी ने मध्यस्थ को जाने दिया

कार्यवाही समाप्त होती है और एक पूर्व-पक्षीय पुरस्कार में समाप्त होती है। इसलिए, सवाल यह उठता है कि क्या यह कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थी ने उपरोक्त आपत्तियों में से किसी को भी उठाने के अधिकार को माफ कर दिया है।

17. हमने अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रितिन राय और वकील श्री कुरियाकोस वर्गीज को सुना। उत्तरदाता।

पक्षकारों के बीच; कि मूल रूप से समझौतों को देखने के बाद सिविल न्यायालय ने अधिनियम की धारा 5 और 8 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार कर लिया था; कि सिविल न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय ने इस न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने के साथ अंतिमता प्राप्त की; कि प्रतिवादी ने मध्यस्थता कार्यवाही में भाग नहीं लेना चुना; और यह कि यह केवल अधिनियम की धारा 34 के तहत याचिका को प्राथमिकता देने के चरण में था कि मध्यस्थता के स्थान के बारे में एक प्रस्तुतिकरण उठाया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र या क्षमता के मुद्दे पर कोई आपत्ति नहीं उठाने का विकल्प चुनने के बाद मध्यस्थता द्वारा कवर किए गए मुद्दे से संबंधित मामले में, प्रत्यर्थी को ऐसी किसी भी आपत्ति को माफ कर दिया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया था कि, किसी भी मामले में, मध्यस्थ को निर्माण उद्योग के माध्यम से नियुक्त किया गया था

मध्यस्थता संघ ('सी. आई. ए. ए.', संक्षेप में) जो दिनांकित 14.04.2011 समझौते के तहत भी कार्यप्रणाली थी।

आई. पी. पी. ओ. निर्माण उपकरण सीमित v. जनार्दन निर्मलन पी. वी. टी. लिमिटेड [उदय उमेश ललित, जे।]

जवाब में, यह विद्वान अधिवक्ता श्री वर्गीज द्वारा प्रस्तुत किया गया था

प्रत्येक मध्यस्थता समझौते पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जाना था यदि एक समझौते में निर्दिष्ट किया गया था कि स्थान कोलकाता में है, तो उस ओर से पक्ष का सम्मान किया जाना चाहिए। डुरो फेलगुएरा, एस. ए. बनाम मामले में रिलायंस को इस अदालत के फैसले पर रखा गया था। गंगावरमसीमित 2, जहां छह मध्यस्थता समझौते थे और प्रत्येक एक

ये मध्यस्थता के लिए स्वतंत्र संदर्भ का विषय था।

19. इससे पहले कि हम विवाद की प्रकृति से निपटें, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं

अधिनियम की धारा 4,16 और 20 के प्रावधानः

" 4. आपत्ति करने के अधिकार की छूट। - एक पार्टी जो जानती है कि

क) इस भाग का कोई प्रावधान जिससे पक्षकार

अवमूल्यन, या

ख) मध्यस्थता समझौते के तहत कोई भी आवश्यकता,

इसका अनुपालन नहीं किया गया है और अभी तक इसके साथ आगे बढ़ रहा है

इस तरह के गैर पर अपनी आपत्ति बताए बिना मध्यस्थता

अनुचित देरी के बिना अनुपालन या, यदि उस आपत्ति को बताने के लिए एक समय सीमा प्रदान की जाती है, तो उस अवधि के भीतर, ऐसा माना जाएगा कि उसने इस तरह से आपत्ति करने के उसके अधिकार को माफ कर दिया है।

.....

16. इस पर निर्णय देने के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण की क्षमता

अधिकार क्षेत्र।

(1) मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र पर निर्णय ले सकता है, जिसमें शामिल हैं -

अस्तित्व या वैधता के संबंध में किसी भी आपत्ति पर निर्णय मध्यस्थता समझौते का, और उस उद्देश्य के लिए, -

क) एक मध्यस्थता खंड जो एक अनुबंध का हिस्सा है, उसे अनुबंध की अन्य शर्तों से स्वतंत्र समझौते के रूप में माना जाएगा; और

ख) मध्यस्थता न्यायाधिकरण का यह निर्णय कि अनुबंध अमान्य है, न्यायिक रूप से अमान्य नहीं होगा।

मध्यस्थता खंड।

(2) एक याचिका कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है, बचाव का बयान प्रस्तुत करने के बाद नहीं उठाया जाएगा; हालाँकि, एक पक्ष को ऐसी याचिका दायर करने से रोका नहीं जाएगा।

केवल इसलिए कि उसने मध्यस्थ की नियुक्ति की है या उसकी नियुक्ति में भाग लिया है। (3) एक याचिका कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण अपने दायरे से अधिक है

जैसे ही मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान कथित रूप से अपने अधिकार के दायरे से बाहर का मामला उठाया जाता है, प्राधिकरण को उठाया जाएगा।

(4) माध्यस्थम न्यायाधिकरण, उप-धारा (2) या उप-धारा (3) में निर्दिष्ट किसी भी मामले में, बाद की याचिका स्वीकार कर सकता है यदि वह देरी को उचित समझता है।

(5) मध्यस्थ न्यायाधिकरण उपखंड में निर्दिष्ट याचिका पर निर्णय लेगा। धारा (2) या उप-धारा (3) और, जहां मध्यस्थता न्यायाधिकरण याचिका को अस्वीकार करने का निर्णय लेता है, मध्यस्थता कार्यवाही जारी रखता है और मध्यस्थता पुरस्कार देता है।

(6) इस तरह के मध्यस्थता पुरस्कार से पीड़ित एक पक्ष इस तरह के मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन कर सकता है। धारा 34 के साथ।

20. मध्यस्थता का स्थान। - (1) पक्ष इस पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं

मध्यस्थता का स्थान।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी समझौते में विफल रहने पर,

मध्यस्थता का निर्धारण मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा किया जाएगा जिसमें

सुविधा सहित मामले की परिस्थितियों के संबंध में

दलों से।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के होते हुए भी, मध्यस्थता न्यायाधिकरण, जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न दी जाए, किसी भी समय बैठक कर सकता है। यह अपने सदस्यों के बीच परामर्श के लिए, गवाहों, विशेषज्ञों या पक्षों को सुनने के लिए, या उनके निरीक्षण के लिए उचित समझता है।

दस्तावेज़, सामान या अन्य संपत्ति।

20. एक ऐसे मामले पर विचार करते समय जहां अधिनियम की धारा 10 के तहत विचार किए जाने के अनुसार विषम संख्या में मध्यस्थों के बजाय, पक्ष दो मध्यस्थों के मध्यस्थता का लालच रखते हैं और जहां इसमें आपत्ति है

च को मध्यस्थों के समक्ष नहीं ले जाया गया था, नारायण प्रसाद लोहिया बनाम निकुंज कुमार लोहिया और अन्य मामले में इस टी की तीन न्यायाधीशों की पीठ 3

अधिनियम की धारा 4 के आयाम और प्रयोज्यता को कम किया। द.निर्णय के अनुच्छेद इस प्रकार हैं:

2) 3 एस. सी. सी. 572 आई. पी. पी. ओ. निर्माण उपकरण सीमित v. जनार्दन निर्मलन पी. वी. टी. लिमिटेड [उदय उमेश ललित, जे।]

" 5. 22-12-1997 पर प्रथम प्रत्यर्थी ने एक आवेदन दायर किया

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिनांकित 6-10-1996 के पुरस्कार को रद्द करने के लिए। 17-1-1998 पर दूसरे प्रतिवादी ने इस पुरस्कार को अलग करने के लिए एक आवेदन दायर किया। एक आधार, इन दोनों अनुप्रयोगों में,

यह था कि मध्यस्थता दो मध्यस्थों द्वारा की गई थी, जबकि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (जिसे इसके बाद "उक्त अधिनियम" कहा जाता है) के तहत मध्यस्थों की संख्या सम नहीं हो सकती है। यह तर्क दिया गया कि दो मध्यस्थों द्वारा मध्यस्थता उक्त अधिनियम के वैधानिक प्रावधान के खिलाफ थी और इसलिए अमान्य और अमान्य थी।

यह तर्क दिया गया कि परिणामस्वरूप पुरस्कार अप्रवर्तनीय था और पक्षों पर बाध्यकारी नहीं था। इन दलीलों का समर्थन कलकत्ता उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने किया जिन्होंने

17-11-1998 पर पुरस्कार। 18-5-2000 पर अपील भी खारिज कर दी गई थी। इसलिए इस अदालत में यह अपील की गई है।

8. श्री वेणुगोपाल प्रस्तुत करते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 10 एक

अनिवार्य प्रावधान जिसका अवमूल्यन नहीं किया जा सकता है। वह बताते हैं कि भले ही पक्ष मध्यस्थों की संख्या निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन ऐसी संख्या एक सम संख्या नहीं हो सकती है। वह प्रस्तुत करता है कि कोई भी समझौता जो पक्षों को सम संख्या में मध्यस्थों की नियुक्ति करने की अनुमति देता है, इस अनिवार्य के विपरीत होगा।

उक्त अधिनियम का प्रावधान। वह प्रस्तुत करता है कि इस तरह का समझौता अमान्य और अमान्य होगा क्योंकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण को वैध रूप से गठित नहीं किया गया होगा। वह प्रस्तुत करता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण की संरचना स्वयं अमान्य होने के कारण, कार्यवाही और पुरस्कार, भले ही एक पारित किया जाए, अमान्य और अप्रवर्तनीय होगा।

9. श्री वेणुगोपाल प्रस्तुत करते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 4 केवल तभी लागू होगी बशर्ते किः (क) एक पक्ष को पता था कि वह इसके किसी भी प्रावधान का अपमान कर सकता है।

भाग, या

(ख) एक पक्ष को पता था कि मध्यस्थता के तहत कोई भी आवश्यकता

समझौते का पालन नहीं किया गया

और पक्ष फिर भी मध्यस्थता के साथ आगे बढ़ा। वे प्रस्तुत करते हैं कि यह मामला उपरोक्त श्रेणी (बी) के अंतर्गत नहीं आता है। वह प्रस्तुत करते हैं कि श्रेणी (ए) भी लागू नहीं होगी क्योंकि छूट केवल उस मामले के संबंध में हो सकती है जिससे कोई पक्ष अपमान कर सकता है। वह प्रस्तुत करता है कि गैर-अपमानजनक प्रावधानों के संबंध में [2020] 6 एस. सी. आर. हो सकते हैं।

कोई छूट न दें। वह प्रस्तुत करता है कि धारा 10 एक ऐसा प्रावधान है जिससे कोई पक्ष अवमूल्यन नहीं कर सकता है। वह प्रस्तुत करता है कि जिन मामलों से कोई पक्ष अपमान नहीं कर सकता है, वे धारा 4,8,9,10 में प्रदान किए गए हैं।

11 (4) और (6), 12,13 (4), 16 (2), (3) और (5), 22 (4), 27,31,32,33,34 (2) और (4), 35,36,37,38 (1) और 43 (3)। वह प्रस्तुत करता है कि, जैसे

इसके खिलाफ, जिन मामलों से एक पक्ष अवमूल्यन कर सकता है, वे धारा 11 (2), 19 (1) और (2), 20 (1) और (2), 22 (1), 24,25,26 और 31 (3) के तहत प्रदान किए गए हैं।

.....

14. हमने पार्टियों को विस्तार से सुना है। हमने प्रस्तुतियों पर विचार किया है। निस्संदेह, धारा 10 में यह प्रावधान है कि मध्यस्थों की संख्या सम संख्या नहीं होगी। सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या धारा 10 एक गैर-अपमानजनक प्रावधान है। हमारे विचार में इस प्रश्न का उत्तर इस प्रश्न पर निर्भर करेगा कि क्या, उक्त अधिनियम के तहत, किसी पक्ष को मध्यस्थ न्यायाधिकरण की संरचना पर आपत्ति करने का अधिकार है, यदि ऐसी संरचना में नहीं है

उक्त अधिनियम के अनुसार, और यदि हां, तो किस स्तर पर। यह याद रखना चाहिए कि मध्यस्थता एक समझौते की रचना है। जब तक पक्षकारों के बीच लिखित रूप में मध्यस्थता समझौता नहीं होता, तब तक कोई मध्यस्थता नहीं हो सकती।

16. कोंकण रेलवे के मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है। कॉर्प. लिमिटेड वी. रानी निर्माण (पी) Ltd.4 कि धारा 16 मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र पर निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 16 के तहत मध्यस्थता न्यायाधिकरण मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता के संबंध में किसी भी आपत्ति पर निर्णय ले सकता है। यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि धारा 16 के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण का अधिकार, अपने अधिकार क्षेत्र के विस्तार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपने अधिकार क्षेत्र के मूल तक भी जाता है। न केवल यह निर्णय इस न्यायालय के लिए बाध्यकारी है, बल्कि हम इसके साथ सम्मानजनक सहमति में हैं। इस प्रकार अब यह तर्क देने के लिए खुला नहीं है कि धारा 16 के तहत, एक पक्ष रचना को चुनौती नहीं दे सकता है।

स्वयं मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष मध्यस्थ न्यायाधिकरण का। इस तरह की धारा 16 (2) के तहत चुनौती को बचाव का बयान जमा करने के बाद नहीं लिया जाना चाहिए। धारा 16 (2) यह स्पष्ट करती है कि इस तरह की चुनौती को लिया जा सकता है, भले ही पक्षकार

2) 2 एस. सी. सी. 388 क्यू. यू. आई. पी. पी. ओ. निर्माण उपकरण सीमित v. जनार्दन निर्मलन पी. वी. टी. लिमिटेड [उदय उमेश ललित, जे।]

हो सकता है कि उन्होंने स्वयं मध्यस्थ नियुक्त किया हो। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि एक पार्टी स्वतंत्र होगी, अगर वह पसंद करती है, तो इस तरह की चुनौती नहीं उठाएगी। इस प्रकार धारा 10 और 16 के संयुक्त पठन से पता चलता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण की संरचना पर आपत्ति एक ऐसा मामला है जो अपमानजनक है। यह अपमानजनक है क्योंकि एक पक्ष धारा 16 (2) में निर्धारित समय के भीतर आपत्ति नहीं करने के लिए स्वतंत्र है। यदि कोई पक्ष आपत्ति न करने का विकल्प चुनता है तो धारा 4 के तहत एक मानित छूट होगी। इस प्रकार, हम इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि धारा 10 एक गैर-अपमानजनक प्रावधान है। हमारे विचार में धारा 10 को धारा 16 के साथ पढ़ा जाना चाहिए और इसलिए यह अपमानजनक है।

प्रावधान।

.....

20. उत्तरदाता 1 और 2 ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण की संरचना पर कोई आपत्ति नहीं जताई है, जैसा कि धारा 16 में प्रदान किया गया है, उन्हें यह माना जाना चाहिए कि उन्होंने आपत्ति करने के अपने अधिकार को माफ कर दिया है।

इस प्रकार, धारा 10 में यह शर्त भी कि मध्यस्थों की संख्या सम संख्या नहीं होगी, एक अपमानजनक प्रावधान पाया गया।

डी चूंकि मध्यस्थ की संरचना पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी

जैसा कि धारा 16 में प्रावधान किया गया है, संबंधित उत्तरदाता थे

ऐसा माना जाता है कि उन्होंने आपत्ति करने के अपने अधिकार को छोड़ दिया है।

21. ड्यूरो फेलगुएरा 2 में यह निवेदन कि मूल अनुबंध को पक्ष की सुविधा के लिए पांच अलग-अलग अनुबंधों में विभाजित किया गया था और इस तरह मध्यस्थता के लिए एक समग्र संदर्भ होना चाहिए जिसमें इस न्यायालय द्वारा अनुबंधों को स्वीकार नहीं किया गया था। यह पाया गया

हमाराः

" 42. .... हाथ में मामला पूरी तरह से अलग आधार पर खड़ा है। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, सभी पांच अलग-अलग पैकेजों के साथ-साथ कॉर्पोरेट गारंटी में अलग-अलग मध्यस्थता खंड हैं और वे मूल पैकेज संख्या 4 टीआर के नियमों और शर्तों पर निर्भर नहीं हैं और न ही समझौता ज्ञापन पर, जिसका उद्देश्य कार्य के निष्पादन में स्पष्टता लाना है।

संयोग से, यह अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता का मामला था

उन समझौतों में से प्रत्येक में मध्यस्थता का केंद्र हैदराबाद में था। इसके अलावा, मामला एक मध्यस्थता याचिका से उत्पन्न हुआ था जिसे प्राथमिकता दी गई थी

अधिनियम की धारा 11 (6)।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

22. वर्तमान मामले में विचाराधीन मध्यस्थता एक घरेलू और एक संस्थागत मध्यस्थता है जहां सी. आई. ए. ए. को अधिकार दिया गया था और उसने किया था।

मध्यस्थ को नामित करें। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक समझौते में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए पूरी तरह से अलग-अलग तंत्र थे।

23. प्रत्यर्थी के लिए यह निवेदन करना संभव था कि प्रत्येक समझौते से संबंधित मध्यस्थता पर विचार किया जाए और अलग से निपटा जाए। उनके लिए यह तर्क देना भी संभव था कि समझौते के संबंध में जहां स्थल कोलकाता में होने पर सहमति हुई थी, मध्यस्थता तदनुसार कार्यवाही की जाए। इन तथ्यों पर विचार करते हुए कि प्रतिवादी मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही में भाग लेने में विफल रहा

और ऐसा कोई निवेदन नहीं किया कि मध्यस्थ के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है या वह अपने अधिकार के दायरे से बाहर जा रहा है, प्रत्यर्थी को ऐसी सभी आपत्तियों को माफ कर दिया जाना चाहिए।

अलीपुर में न्यायालय द्वारा 2015 के विविध मामले No.298 को खारिज करते हुए निकाला गया निष्कर्ष काफी सही था और इसमें किसी भी तरह की मांग नहीं की गई थी हस्तक्षेप। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश को रद्द करने में गलती की थी। किसी भी मामले में, यह तथ्य कि कारण शीर्षक से पता चलता है कि वर्तमान अपीलार्थी अन्यथा अलीपुर न्यायालय की अधिकारिता के लिए उत्तरदायी था, निर्णायक या निर्धारक मानदंड नहीं हो सकता था।

25. इसलिए, हम इस अपील की अनुमति देते हैं, अपील के तहत निर्णय और आदेश को दरकिनार करते हैं और द्वारा पारित दिनांक 13.08.2018 आदेश को बहाल करते हैं।

2015 के विविध मामले संख्या 298 में अलीपुर का न्यायालय। कोई लागत नहीं।

अपील की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे